प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक-27 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 01-08 जुलाई 2019 मूल्य पांच रूपए

तय प्रक्रिया की अनदेखी करके हो रही सरकार में करोड़ों की खरीद

GeM को भी नही दिया जा रहा अधिमान

शिमला/शैल। विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य अदारों में छोटे-बड़े सामान की करोड़ों की खरीद होती है। बहुत सारे विभागों में तो एक ही तरह का सामान खरीदा जाता है लेकिन इस खरीद में प्राय रेटों की भिन्नता पायी जाती है और यही भिन्नता भ्रष्टाचार को जन्म देती है। इस भिन्नता और इसके परिणामस्वरूप होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिये टैण्डर और रेट कान्ट्रैक्ट की प्रणालीयां अपनाई गयी हैं लेकिन इन प्रणालीयों को नजरअन्दाज करके करोड़ों की खरीद हो रही है। अभी स्वास्थ्य विभाग में हुई बायोमिट्रिक मशीनों की खरीद में हुआ भ्रष्टाचार इसी का परिणाम है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस तरह की खरीद कुछ निगमों बोर्डों के माध्यम से हो रही है और इसके लिये तर्क यह दिया जा रहा है कि ऐसी खरीद करके यह सरकारी अदारे अपने कर्मचारियों का वेतन तो निकाल रहे हैं। इस समय अधिकांश निगम बोर्ड घाटे में चल रहे हैं क्योंकि जिन उद्देश्यों के लिये इनका गठन किया गया था उस दिशा में अब काम हो ही नहीं रहा है। कुछ अदारे तो बन्द कर दिये गये हैं और उनके कर्मचारियों का अन्यों में विलय कर दिया गया है। लेकिन अभी तक समग्र रूप से सारे अदारों का आकलन नही किया गया हैं बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि ऐसा करने ही नही दिया जा रहा है।

रेट कान्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी सरकार ने कन्ट्रोल स्टोरेज़ को दे रखी है और यह उद्योग विभाग के अधीन काम करता है लेकिन उद्योग विभाग के तहत ही काम करने वाले खादी बोर्ड और हैण्डीक्राफ्ट एवम् हैण्डलूम कारपोरेशन घाटे में चल रहे हैं बल्कि बन्द होने के कगार पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि यह दोनों अपना मूल तय काम कर ही नही रहे हैं और अपना वेतन निकालने के लिये कुछ विभागों के लिये खरीद ऐजैन्सी बन गये हैं। जबकि नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। जिन आईटमों का रेट कान्ट्रैक्ट नहीं होता है उनके लिये टैण्डर प्रणाली अपनाई जाती है। सरकारी विभाग इस तय प्रक्रिया की अनदेखी कर रहे हैं और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है यह सरकार के संज्ञान में भी है बल्कि इस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 12.1.2017 को एक बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की ओर से 16.1.2017 को सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भी जारी किये गये थे जिन पर आज तक अमल नही किया गया है। जबकि तत्कालीन वित्त सचिव आज मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव हैं।

प्रदेश सरकार के इन निर्देशों के बाद भारत सरकार ने उद्योग और वाणिज्य विभाग से एक GeM पोर्टल तैयार करवाया और राज्य सरकारों को भेजा। यह पोर्टल टैण्डर और रेट कान्ट्रैक्ट के साथ खरीद के लिये एक और प्रणाली उपलब्ध हो गयी है। हिमाचल सरकार ने GeM के साथ 26-12-2017 को एक एमओयू साईन किया है। इस एमओयू के बाद सरकार के प्रधान सचिव उद्योग की ओर से 20-8-2018 को निर्देश जारी किये गये थे जिस पर कन्ट्रोलर स्टोरेज़ ने 4.9.2018 को सारे प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर यह कहा कि GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद करना अनिवार्य है। इसके लिये सरकार ने अपने नियमों में संशोधन करके नियम 94 A जोड़ा और स्टेट पूल के नाम से बैंक में खाता तक खोला। सरकार की इस कारवाई से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पोर्टल के माध्यम से ही खरीद करनी होगी।

लेकिन इस सबके बावजूद आज भी स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बड़े विभाग राज्य सरकार के अपने और भारत सरकार के आदेशों/निर्देशों को अंगूठा दिखाते हुए हैण्डीक्राफ्ट -हैण्डलूम कारपोरेशन के माध्यम से ही खरीद कर रहे हैं। इसमें सबसे अधिक गौर तलब तो यह है कि डाक्टर बाल्दी ने जो निर्देश बतौर वित्त सचिव जारी किये थे उनकी अनुपालना बतौर प्रधान सचिव मुख्यमन्त्री सुनिश्चित नही कर पा रहे हैं।

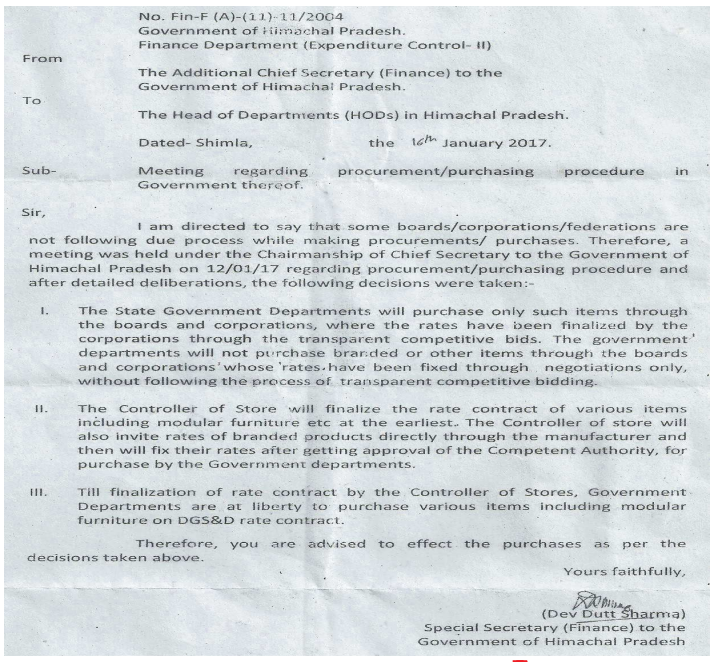

No. Fin-F (A)-(11)-11/2004
Government of Himachal Pradesh.
Finance Department (Expenditure Control- II)

From
The Additional Chief Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh.

To
The Head of Departments (HODs) in Himachal Pradesh.

Dated- Shimla, the 16th January 2017.

Sub- Meeting regarding procurement/purchasing procedure in Government thereof.

Sir,

I am directed to say that some boards/corporations/federations are not following due process while making procurements/ purchases. Therefore, a meeting was held under the Chairmanship of Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh on 12/01/17 regarding procurement/purchasing procedure and after detailed deliberations, the following decisions were taken:-

I. The State Government Departments will purchase only such items through the boards and corporations, where the rates have been finalized by the corporations through the transparent competitive bids. The government departments will not purchase branded or other items through the boards and corporations whose rates have been fixed through negotiations only, without following the process of transparent competitive bidding.

II. The Controller of Store will finalize the rate contract of various items including modular furniture etc at the earliest. The Controller of store will also invite rates of branded products directly through the manufacturer and then will fix their rates after getting approval of the Competent Authority, for purchase by the Government departments.

III. Till finalization of rate contract by the Controller of Stores, Government Departments are at liberty to purchase various items including modular furniture on DGS&D rate contract.

Therefore, you are advised to effect the purchases as per the decisions taken above.

Yours faithfully,

(Dev Dutt Sharma)
Special Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh

क्या प्रदेश कांग्रेस में भी तोड़फोड़ का दौर आ रहा है अर्चना धवन के पासा बदलने से उठी चर्चा

शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमन्त्री जयराम की मौजूदगी में अपना सदस्यता अभियान शुरू करके पहले ही दिन नगर निगम शिमला की वरिष्ठ कांग्रेस पार्षद अर्चना धवन को पार्टी में शामिल करके कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। क्योंकि धवन उस वार्ड से कांग्रेस की पार्षद थी जिसमें पूर्व मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह का अपना आवास है। इसमें और भी गंभीरता इस कारण है कि धवन के लिये वोट मांगने अपने वार्ड में वीरभद्र स्वयं गये थे। धवन आज भी वीरभद्र का आशीर्वाद प्राप्त होने का दावा करती है। धवन ने कांग्रेस छोड़ने का बड़ा कारण यह कहा है कि पार्टी में वरिष्ठता की कोई कद्र नही रही है। मजे की बात यह है कि धवन के पार्टी छोड़ने और अनदेखी का आरोप लगाने पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया तक नही आयी है। नगर निगम शिमला क्षेत्र को मिनी हिमाचल की संज्ञा दी जाती है और इसके चुनावों की विधानसभा का संकेतक माना जाता है। इस दृष्टि से यहां पर ऐसी राजनीतिक घटना का अपना ही एक अलग स्थान हो जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वरिष्ठता की अनदेखी का आरोप हो जाता है। कांग्रेस इस समय न ही प्रदेश में सत्ता में है और न ही नगर निगम में। ऐसी अनदेखी का आरोप सीधे संगठन पर आता है।

प्रदेश कांग्रेस को लोकसभा की चारों सीटों पर शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। लेकिन इस हार के बाद अध्यक्ष समेत कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी ने अपने पदों से त्यागपत्र देने की बात नही कही है। बल्कि हार के कारण जानने के लिये बुलायी गयी बैठक में भी उम्मीदवारों और अन्य नेताओं से जो कुछ पूछा गया वह वीरभद्र और विद्या स्टोक्स की मौजूदगी में पूछा गया। जबकि पूरे चुनाव के दौरान वीरभद्र के ही ब्यान अपने उम्मीदवारों को लेकर सबसे विवादित रहे हैं। वीरभद्र ही अकेले ऐसे नेता थे जो समय-समय पर मुख्यमन्त्री जयराम को सफलता/श्रेष्ठता के प्रमाण पत्र बांटते रहे हैं और उनके ब्यानों पर अध्यक्ष समेत हर बड़ा नेता चुप्पी साधे बैठा रहा। चुनाव के बाद भी संगठन की ओर से इसको लेकर कोई सवाल नही उठाया गया है। आज प्रदेश कांग्रेस में चुनाव के दौरान और उससे पहले हुए खर्चो के आडिट करवाने की चर्चा शुरू हो गयी है। चुनाव प्रचार के लिये आये पैसे से पहली बार ऐसा सामने आया कि अखबारों को कोई विज्ञापन तक जारी नही हुए। इस समय पार्टी के अन्दर पैसे को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया में कुछ लोगों की विवादित भूमिका को लेकर उनके खिलाफ कारवाई की जा रही है। इस कारवाई से संगठन को आगे चलकर कितना लाभ/नुकसान होगा शायद यह इस समय का सवाल ही नही रह गया है।

इसी वर्ष विधानसभा के लिये दो उपचुनाव होने हैं। लेकिन इन चुनावों को लेकर अभी तक पार्टी की ओर से कोई गतिविधि सामने नही आयी है। प्रदेश सरकार के किसी भी फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नही आ रही है। यहां तक कि केन्द्र सरकार के बजट पर प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व एकदम खामोश सा ही रहा है। प्रदेश अध्यक्ष राठौर की प्रतिक्रिया भी एक रस्म अदायगी से अधिक कुछ नही रही है। इससे लगता है कि या तो उन्हें बजट समझ ही नही आया है या फिर वह जानबूझ कर इस पर चुप्प हैं लेकिन यह दोनों ही स्थितियां संगठन के लिये घातक हैं।

ऐसे में वीरभद्र की करीबी पार्षद के भाजपा में शामिल होने से कुछ राजनीतिक हल्को में यहां तक चर्चा चल पड़ी है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई बड़े नेता पासा बदल ले तो इसमें कोई हैरानी नही होगी।

सूखा ग्रस्त इलाकों में भी अब खेती करना होगा संभवःडॉ राजीव कुमार

शिमला/शैल। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कल केंद्र सरकार के बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के प्रसार

के लिए डॉ वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी यूनिवर्सिटी नौणी में आयोजित छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर पहुंचे नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है जिसको लेकर विभिन्न योजनाएं तैयार की जा रही हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, उतराखंड की राज्यपाल बेबी मौर्य विशेषतौर पर मौजूद रही। इस मौके पर डॉ राजीव कुमार ने कहा कि किसानों की दोगुनी आय अनाजों के समर्थन मूल्यों को बढ़ाकर ही कम नहीं होगी बल्की हमें कृषि लागत को कम करके किसानों के लाभ को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पूर्ण रूप से किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक सशक्त विकल्प के तौर पर उभरी है। उन्होंने कहा इस खेती पद्धति के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री से भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा इस खेती विधि को अपनाने से सूखा ग्रस्त इलाकों में भी खेती करना संभव हो सकेगा इसलिए यह किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। डॉ राजीव ने कहा कि प्राकृतिक खेती पद्धति को एक जनआंदोलन के तौर पर बढ़ाने की जरूरत है और इसमें हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य के तौर पर भूमिका अदा करेगा।

राजीव कुमार ने कहा कि देश की आर्थिकी में कृषि का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि जहां आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है वहीं कृषि क्षेत्र की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इस मौके पर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के परियोजना निदेशक राकेश कंवर ने इस योजना की वर्तमान स्थिति के बारे में सबके सामने तथ्य रखे।

उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी मौर्य ने कहा कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती हिमाचल प्रदेश में बड़ी तेजी से गति पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस खेती विधि में कृषि लागत बिल्कुल कम हो जाती है और किसानों की आय में बढौतरी होती है। उन्होंने कहा कि इस खेती विधि के तहत फल, फसल, जड़ी-बूटी की पैदावार को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस खेती विधि को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उतराखंड में प्रसारित करने के लिए सुभाष पालेकर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले राज्य के रूप में देश भर में पहचान पाऐगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इसे हर किसान तक पहुंचाने के लिए अभी तक चार मेगा प्रोग्राम किए जा चुके हैं। इसके अलावा ब्लॉक और जिला स्तर पर किसानों को इस खेती विधि से जोड़ा जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्य उतराखंड के साथ हाथ मिलाकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जहरमुक्त खेती के प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है।

कुरीतियों और कुप्रथाओं के उन्मूलन में सार्थक भूमिका निभाएं लेखकःराज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति, लोक मान्यताओं और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित कंचन शर्मा की पुस्तक 'हिमाचल प्रदेश एक सांस्कृतिक परिदृश्य' का विमोचन किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने लेखकों, बुद्धिजीवियों और रचनाकारों का आहवान किया कि वे अपने लेखों, पुस्तकों और कविताओं में ऐसी विचारशील सामग्री प्रस्तुत करें, जिससे समाज में व्याप्त कुरीतियों और कुप्रथाओं को समाप्त किया जा सके और वैदिक परम्पराओं पर आधारित समतामूलक समाज का निर्माण हो सके।

उन्होंने कहा कि इस युग में अन्ध विश्वास से ऊपर उठकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मान्यताओं की विवेचना होनी आवश्यक है और लेखक इस दिशा में सार्थक पहल कर सकते हैं। इससे विकास की नई सोच पैदा होगी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सुदृढ़ होगा।

उन्होंने कहा कि कई परम्पराएं प्रतीक के तौर पर आरम्भ हुई परन्तु मध्यकाल में इन परम्पराओं में रूपान्तरण हुआ, जिससे पाखण्ड और अन्ध-विश्वास का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि उस समय के सन्तों और महापुरूषों ने इन पाखण्डों का प्रबल विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि पाखण्ड और अन्ध-विश्वास से जुड़ी सभी धारणाओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता है ताकि समाज के सभी वर्गो का कल्याण सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि अपने स्वार्थ के लिए की गई हिंसा और हिंसक कार्य पाप हैं तथा अपने स्वार्थ के लिए गलत मान्यताओं का पोषण करना उचित नहीं है।

E-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

1.The **Executive Engineer HPPWD Arki Distt. Solan H.P on behalf of Governor of H.P** invites the online bids on item rate, in electronic tendering system in 2 cover System for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD Department

Sr..No.	Name of Work	Estimated cost	EMD	Cost of tender	Eligible class of contract	Time
1.	Annual Maintenance of Arki Manjoo Khanalag road Km. 0/0 to 12/365(SH:-Providing renewal 25mm thick bitumenious concrete in Km. 8/0 to 10/0	16,59,097/-	32,400/-	500/-	Class D	2 Month
2.	Annual Maintenance of Galog tukana road Km. 0/0 to 8/630(SH:-Providing renewal 25mm thick bitumenious concrete in Km. 6/0 to 7/0	8,13,962/-	16,300/-	350/-	Class D	2 Month

2. Availability of Bid Document and mode of submission: The bid document is available online and bid should be submitted online on website **http://hptenders.gov.in**

Bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: http://hptenders.gov.in Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

Key Dates

1. Date of Online Publication	3.07.2019 10.00 HRS
2. Documents Download Start and End date	11.7.2019 10.30HRS upto 26.7.2019 18 HRS
3. Bid Submission Start and End Date	11.7.2019 10.30HRS upto 26.7.2019 18 HRS
4. Physical Submission of EMD and Cost of tender Documents	27.7.2019. up to 11HRS
5. Date of Technical Bid opening ,Evaluation of Technical Bid followed by Opening of Financial Bid	27.7.2019 11.30 HRS

The tender documents shall be uploaded online in 2 cover:
(i) Cover I shall contain scanned copies of all **"Technical Documents/ Eligibility information"**
(ii) Cover 2 shall contain **BOQ/Financial Bid** where contractor will quote his offer for each item.
5. Submission of Original Documents: The bidders are required to submit(a) original demand draft towards the cost of bid documents and (b) original bid security/Earnest Money Deposit(EMD) and other Technical Documents in o/o the **Executive Engineer, HP,PWD, Arki Divn. HP** as specified in Key dates at **Sr.NO.4** on Tender Opening Date,failing which the bids will be declared non responsive,
6. BID OPENING DETAILS The bids shall be opend on **27.7.2019 .at 11.30HRS** in the office of Executive Engineer,HP,PWD,Arki divn./Superintending Engineer, 3rd Circle, HP,PWD, Solan HP by the uthorized officer. In their interest the tenderer are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 120 days after the deadline date for bid submission.
8. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-0789/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

Himachal Pradesh
Public Works Department
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tenders on PWD form 6 & 8 are hereby invited by the **Executive Engineer, Theog Division, H.P.P.W.D.,** Theog on behalf of the Governor of HP. for the following works from the eligible contractors enlisted in H.P.PWD. (B&R) whose registration stood renewed as per revised rules and also registered under the H.P. General Sales Tax Act,**1968** so as to reach in this office on or before 05/08/2019 up to 11.00 A.M. and the same shall be opened on the same day at **11:30 A.M**. in the presence of intending contractors or their authorized representative who may like to be present. The tender documents can be had from this office against cash payment (Non refundable) on **03/08/2019 up to 4.00 P.M.** and the application for issue of tender form shall be received on **2/08/2019 up to 4:00 P.M.**

The amount of earnest money in the shape of FDR deposit at call of any of the Post office/ Bank duly pledged in favour of XEN HPPWD. Theogmust be accompanied with the application for tender documents. Please note no exemption orders of earnest money will be entertained. Conditional tenders and the tenders received without earnest money as mentioned above will similarly be rejected. The offer of the tenders shall be kept open for 90 days. The Executive Engineer reserves the right to reject any tender of all tenders without assigning any reasons. If it happens to be a holiday on the day of opening of tenders, the same will be opened on the next working day at the same time and venue.

Sr..No.	Name of Work	Name of Divn.	Estimated cost (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Cost of form (Rs.)	Time allowed for comp-letion
1.	R/R damages on Shilaroo to Rachhan road km. 0/0 to 2/390 (SH:-C/O B/wall at RD 2/290 to 2/330)	Theog	2,87,997	5,800	350	Two months
2.	R/R damages on Shilaroo to Rachhan road km. 0/0 to 2/390 (SH:- C/O B/wall at RD 2/0 to 2/020	Theog	1,46,018	3,000	350	Two months
3.	R/R damages on Shilaroo to Rachhan road km. 0/0 to 2/390 (SH:- C/O B/wall at RD 0/250 to 0/300).	Theog	3,62,758	7,300	350-	Two months
4.	R/R damages on Kufri Chair road km. 0/0 to 6/400 (SH:- C/O R/wall at RD 5/813 to 5/831, 5/862 to 5/882), 6/280 to 6/290 and B/wall at RD 5/760 to 5/775)	Theog	4,73,624	9,500	350-	Three months
5.	R/R damages on MatianaMohari road via Kalzar km. 0/0 to 16/0 (SH:- C/O B/wall at RD 12/790 to 12/810)	Theog	1,47,719	3,000	350-	Two months

Following documents should accompany the application for tenders:-
1. The contractors are required to be produce a copy of their PAN No.GSTIN. and should produce a copy of enlistment /renewal letter.
2. Special care may be taken to write the rates both in figures and in words failing which tender is likely to be rejected
3. The contractor will have to submit the proof of registration Under Employees Provident Fund & Miscellaneous Provision Act 1952 at the time of tender. Failure to observe this condition shall render the tender of contractor liable to summary rejection.
4. The bidders are advised to quote rates inclusive of G.S.T. as applicable notified vide Additional Chief Secretary (PW) to the Govt. of H.P. letter No.PBW(B)C(17)/2/2012 dated 07/08/2018.G.S.T. shall not be paid extra.
5. The contractor will give affidavit duly attested from the competent authority that he has not more than two works in hand for execution failing which the application shall be rejected.
6. The contractors whose rates are abnormally low may be asked to furnish the full justification of his rates failing which he will be debarred to complete in tendering for three months.
7. The provision of notification issued vide Addl. Chief Secy.(PW) to the Govt. of HP. notification No.PBW(B)22-1/2002 dated 26/5/2015 shall also be applicable.

Adv. No.-0877/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
e-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

1.The **Executive Engineer HPPWD Solan Distt Solan H.P** on behalf of Governor of H.P invites the item rate bids, in electronic tendering system, from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the work as detailed in the table.

Sr..No.	Name of Work	Estimated cost	Starting Date for downloading Bid	Earnest Money	Deadline for submi-ssion of bid
1.	"Stock storage of HP,PWD, Solan(SH:- Un-loading of steel bars, Cement bags & Bitumen drums".	1,99,290/-	11.07.2019 10:00 HRS.	Rs.4,000/-	24.07.2019 10:30 HRS
2.	"Construction of septic tank & soak pit for Type-II Quarters at Police line Solan".	2,82,824/-	11.07.2019 10:00 HRS.	Rs.6,000/-	24.07.2019 10:30 HRS
3.	"Special repair to Police Chowki Saproon at Solan(SH:-Providing & laying tiles, painting & distempering & fixing glass pans etc".	1,26,746/-	11.07.2019 10:00 HRS.	Rs.2,600/-	24.07.2019 10:30 HRS
4.	"Special repair to Judical Court Complex at Solan(SH:-Painting & distempering etc".	3,61,090/-	11.07.2019 10:00 HRS.	Rs.7,300/-	24.07.2019 10:30 HRS
5.	"A/R & M/O to Assistant Engineer residence at Oachghat(SH:-C/o slab culvert, P/L tiles, flooring, plinth protection, white washing, painting & distempering etc".	2,67,077/-	11.07.2019 10:00 HRS.	Rs.5,400/-	24.07.2019 10:30 HRS
6.	"S/R of existing Ayurvedic Health center Hospital building at Gaura(SH:-Civil work, WS & SI, C/o septic tank & soak pit".	2,31,959/-	11.07.2019 10:00 HRS.	Rs.4,700/-	24.07.2019 10:30 HRS
7.	"C/o Gaura-Reh-Ka-Katal Via Dhar Chakla road Km.0/0 to 5/500(SH:-C/o 900 mm dia RCC Hume pipe Culvert at R.D.2/855, 3/060, 3/120, 4/015 & 4/4330 ".	8,76,369/-	11.07.2019 10:00 HRS.	Rs.18,000/-	24.07.2019 10:30 HRS

The bidders are advised to note other details of tenders from the department website www.hptenders.gov.in.

Adv. No.-0835/19-20 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

केन्द्रीय बजट विकसित भारत की परिकल्पना: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2019-20 को प्रगतिशील, विकासोन्मुखी और आगामी पांच वर्षों में एक विकसित भारत की परिकल्पना बताया है।

पत्रकारों से बातचीत में केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट जन भागीदारी से नए भारत की परिकल्पना है। उन्होंने कहा कि इस बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए बजट आवंटन में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसके लिए उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के ऐसे तीन करोड़ से अधिक छोटे व्यापारियों व दुकानदारों को जिनका वार्षिक व्यापार 1.50 करोड़ तक है, के लिए पैंशन योजना आरम्भ की गई है, जो एक सराहनीय एवं ऐतिहासिक कदम है। इसके अलावा सभी दुकानदारों को 59 मिनट के भीतर ऋण प्रदान करने की सुविधा की घोषणा भी एक ऐतिहासिक पहल है।

भारत माला परियोजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत राज्यों में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा सड़कों के रखरखाव व सुधार के लिए नई नीति बनाने के निर्णय की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आगामी पांच वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 1.25 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुधार किया जाएगा, जिस पर 80250 करोड़ रूपये खर्च होंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 1.95 करोड़ परिवारों को शौचालय, बिजली तथा गैस जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान भी ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में कारगर पहल है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 9 प्रतिशत की बढ़ौतरी करने का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि 45 लाख रुपये तक के आवास खरीदने के लिए ब्याज पर पहले जो 2 लाख रूपये की छूट दी गई थी अब उसे बढ़ाकर 3.50 लाख रूपये किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे सभी को आवास प्रदान करने की दिशा मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि उचित लागत पर बिजली सुनिश्चित बनाने के लिए एक राष्ट्र एक ग्रिड की परिकल्पना भी एक ऐतिहासिक पहल है, जिससे समस्त देशवासियों को उचित दरों पर समुचित बिजली उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने का निर्णय भी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की भी घोषणा की गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा।

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जन धन खाताधारक महिलाओं को 5000 रूपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा तथा अलग से एक लाख रूपये तक के मुद्रा लोन की व्यवस्था महिला सशक्तिकरण की दिशा में कारगर सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि बजट में प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों से निश्चित तौर पर विकसित भारत की सशक्त नींव रखी जा सकेगी।

हिमकेयर के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 10 जुलाई तक बढ़ी

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री विपिन सिंह परमार ने बताया है कि प्रदेश में 1 जनवरी, 2019 से आरम्भ महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना 'हिमकेयर' के तहत पंजीकरण की तिथि को बढ़ाकर 10 जुलाई तक कर दिया गया है ताकि और अधिक लोग इसके तहत पंजीकरण करवा सकें।

उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पिति व पांगी के लोग 15 जुलाई तक अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब 6.05 लाख परिवारों ने पंजीकरण करवाया है और 24148 लाभार्थियों ने 25.88 करोड़ रुपये के नि:शुल्क ईलाज की सुविधा का लाभ पंजीकृत अस्पतालों में प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत पंजीकरण की अन्तिम तिथि 5 जुलाई थी परन्तु जनता की मांग को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पंजीकरण की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.), पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले (जो कि आयुष्मान भारत में पंजीकृत नहीं है) और मनरेगा के अन्तर्गत जिन्होंने पिछले वर्ष 50 दिन या उससे अधिक कार्य किया है, से प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना में सभी तरह की आम व गम्भीर बीमारियों को शामिल किया गया है। लाभार्थी प्रदेश में आयुष्मान भारत के अन्तर्गत पंजीकृत अस्पतालों में जा कर ईलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन से लाभार्थियों के स्वास्थ्य सुविधाओं पर होने वाले खर्चे में भारी कमी आई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को जल्द मिलेंगे छोटी गाड़ियों के परमिट

शिमला/शैल। परिवहन, युवा सेवाएँ एवं खेल मन्त्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने जानकारी दी है कि प्रदेश के ग्रामीण रूटों में परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए एक विशेष योजना लाई जा रही है, जिसके तहत ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से ड्राई लीज पर रूट परमिट प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 10-15 सीटर यह छोटी गाड़ियां हिमाचल पथ परिवहन निगम के तय रुट्स पर सेवाएँ प्रदान करेंगी। इसके लिए प्रदेश के सभी 28 क्षेत्रीय प्रबन्धकों को रुट्स का ब्यौरा प्रदान करने को कहा गया है।

परिवहन मन्त्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि इन रूटों को चिन्हित करने के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक चुने हुए प्रतिनिधियों से भी सुझाव प्राप्त करेंगे तथा एक सप्ताह के भीतर मुख्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश में इस प्रकार के करीब 300 रुट्स चिन्हित किये जाएँगे जहाँ बसों की आवाजाही कम है अथवा एक बस से अधिक सवारियां रहती हैं, इससे समय पर लोगों को परिवहन सुविधा प्राप्त होंगी तथा ओवरलोडिंग की समस्या भी दूर होगी।

परिवहन मन्त्री ने दिवंगत चालक नरेश के घर जाकर परिवार के सदस्यों को सांत्वना भी दी। उन्होंने पीड़ित परिवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम की तरफ से सहायता राशि भी प्रदान की। इस अवसर पर ठाकुर कुन्ज लाल दमोदारी ठाकुर सेवार्थ ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी रजनी ठाकुर ने भी स्वर्गीय नरेश के परिवार को ट्रस्ट की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की तथा दिवंगत चालक की बेटी एवं बेटे जो की टूटू, शिमला के एक निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, की आगे की पढ़ाई का सारा खर्च उठाने का निर्णय लिया।

गोविन्द सिंह ठाकुर ने दोबारा आईजीएमसी जाकर घायलों का हाल जाना तथा जानकारी दी कि घायल सभी बेटियों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है तथा बस परिचालक की हालत में भी सुधार है, जो अभी आईसीयू में भर्ती है। उन्होंने कहा कि इनकी देखभाल के लिए परिवहन निगम द्वारा पहले दिन से ही दो कर्मचारी अस्पताल में नियुक्त किए हैं तथा घायलों को हर प्रकार की मदद प्रदान की जा रही है।

गोविन्द सिंह ठाकुर ने एचआरटीसी के उन कर्मचारियों का किया आभार व्यक्त किया, जो अवकाश छोडकर, अन्य सेवाओं में कार्यरत चालक, परिचालक तथा दैनिक कार्य के उपरान्त ओवरटाइम कर लोगों को आजकल सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। परिवहन निगम आजकल यात्रियों की सुविधा के लिए औसतन 100 अतिरिक्त सेवाएँ (ट्रिप) प्रदान कर रहा है।

अनाधिकृत पार्किंग पर होगी कड़ी कार्रवाई: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। शिमला शहर में सड़कों पर केवल एक तरफ पीली लाईन पर ही वाहनों की पार्किंग की अनुमति दी जाएगी और अनाधिकृत पार्किंग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा पर वरिष्ठ अधिकारियों की एक

बैठक में यह निर्णय लिया गया।

उन्होंने कहा कि शिमला में अधिकृत पाह्कग और अनाधिकृत पार्किंग क्षेत्र के साईन बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। शिमला में चल रहे तीन बड़ी पार्किंग स्थलों को विकसित करने के कार्य में तेजी लाई जाएगी जबकि जिला प्रशासन व नगर निगम शिमला विशेषकर आवासीय क्षेत्रों में पार्किंग विकसित करने के लिए जगह चिन्हित करेंगे। इससे लोगों को जहां पर्याप्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं शहर की सड़कों पर यातायात की व्यवस्था भी सुचारू बनी रहेगी।

जय राम ने शिमला जिला प्रशासन और नगर निगम को 10 जुलाई तक ऐसे स्थल चिन्हित करने के भी निर्देश दिए जहां सड़क के किनारे पीली रेखा के साथ छोटी-छोटी पार्किंग विकसित की जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को अपने घरों के सैटबैक के दायरे में निजी पार्किंग विकसित करने के पहलू पर विचार करेगी।

उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यलयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने वाहनों के लिए उनके पास पर्याप्त पार्किंग स्थल हो ताकि सड़कों पर वाहनों को खड़ा करने की आवश्यकता न रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थलों पर 50 मीटर के दायरे में पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां स्कूली विद्यार्थी अपनी स्कूल बसों से उतरते और चढ़ते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लोगों को सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता, शिक्षा एवं सम्पर्क गतिविधियां चलाई जाएंगी। राज्य में सभी तंग सड़कों को चिन्हित कर उन्हें चौड़ा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि शिमला शहर में रोज़ाना 1,65,000 वाहन चलते हैं जिसके कारण लोगों की सुविधा के लिए वैकल्पिक सड़कों के निर्माण की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने शिमला में एक स्कूल बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मृतकों के परिवारों को पांच लाख रुपये की राशि दी जा रही है तथा घायलों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

उन्होंने कहा कि परिवहन वाहनों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है जिसके लिए सभी स्कूल बसों की जांच नियमित रूप से की जाएगी तथा स्कूल प्रबन्धन को सुरक्षा मापदण्डों के बारे में जागरूक बनाया जाएगा।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और परिवहन मंत्री गोविन्द ठाकुर ने भी वाहनों की सुरक्षित आवाजाही के लिए सड़क सुरक्षा एवं सुधारं के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

धार्मिक पर्यटन तथा घाटों के सौंदर्यकरण पर खर्च होंगे 6 करोड 92 लाख

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार द्वारा चन्द्रभागा के संगम तांदी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने तथा घाटों के सौंदर्यकरण के लिए 06 करोड 92 लाख रू. के बजट का प्रावधान किया है। यह जानकारी कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉ. रामलाल मारकण्डेय ने ग्राम पंचायत गौशाल गांव में लोगों की समस्यायें सुनने के बाद अपने सम्बोधन मे कही। उन्होंने कहा कि तांदी संगम स्थल का जिला में अपना धार्मिक महत्व है तथा लोगों की भावनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार इस स्थल को विकसित करने के लिए कृतसंकल्प है। इससे यहां के धार्मिक पर्यटन को बढावा मिलेगा। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए कार्य कर रही है तथा हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशाल किसान कार्यक्रम शुरू किया गया है किसानों को रसायनिक खेती व जैविक खेती से हटकर प्राकृतिक खेती व शुन्य बजट खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गौशाल गांव के लिए 78 लाख रू. की सिंचाई योजना स्वीकृत की गई है इस का कार्य शीघ्र किया जायेगा। लोगों की मांग पर उन्होंने बरगुल, मुलिंग, शिपटिंग तथा गौशाल गांव के लिए इसी सप्ताह एल.पी.जी. गैस की सप्लाई भेजने के लिए निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि बरगुल गांव के लोगो के लिए सिंचाई की बेहतर सुविधा मिले इसके लिए 119 लाख रू. की लागत से बरगुल कुहल का निमार्ण किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने अपने लाहौल प्रवास के दौरान बरगुल, मूलिंग, शिपटिंग, गौशाल, तांदी, सुमनम, मारवल, गाडंग, तोजिंग, ठोलंग सहित लगभग 03 दर्जन गांव का प्रवास किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुना तथा अधिकारियों को शीघ्र निपटारे के लिए निर्देश दिये।

सक्षम व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित

शिमला/शैल। अपंग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शिमला में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण (ईएसओएमएसए) विभाग के निदेशक हंस राज चौहान ने विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों से सम्बन्धित विभिन्न मामलों से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को और अधिक सवेदनशील होने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि यह अधिनियम हिमाचल प्रदेश में अप्रैल, 2017 में क्रियान्वित किया गया था और अधिनियम के अनुसार अपंगता की श्रेणियों को सात से बढ़ाकर 21 किया गया है। उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण को भी तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि इस श्रेणी को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित की गईं हैं। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी भवनों, परिसरों तथा अन्य सुविधाओं को बाधामुक्त बनाया जाना चाहिए और विशेषकर बस अड्डों में व्हील चेयर की सुविधा वाले विशेष शौचालयों का निर्माण किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विभिन्न विकासात्मक योजनाओं तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में पांच प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपंग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का अपने संबंधित विभागों में सही कार्यान्वयन करने का आग्रह किया तथा इस सम्बन्ध में ईएसओएमएसए विभाग को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा।

हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमे स्वार्थ ना हो, यह कड़वा सच है.....चाणक्य

सम्पादकीय

राजनीति की आकाश–राणे संस्कृति का अंजाम क्या होगा

इन दिनों भाजपा और कांग्रेस के कई नेता अपनी दबंगई और विवादित ब्यानों के कारण जन चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनमें प्रमुख रूप से भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गी, कांग्रेस विधायक नितेश राणे और भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, सन्नी दियोल, प्रहलाद पटेल और मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ के नाम विशेष उल्लेखनीय हो गये हैं। प्रज्ञा ठाकुर तो चुनाव प्रचार के दौरान ही चर्चित हो गयी थी। जब उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथू राम गोडसे को देशभक्त तथा आतंकवादीयों की गोली का शिकार हुए पुलिस अधिकारी हेमन्त करकरे की मौत को अपने अभिशाप का प्रतिफल कहा था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इन ब्यानों पर काफी विवाद खड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इसकी निन्दा करते हुए यहां तक कह दिया था कि प्रज्ञा को दिल से क्षमा नही कर पायेंगे। लेकिन जब प्रज्ञा ने बतौर सांसद शपथ ली और जिस तरह की नारेबाजी वहां हुई उससे स्पष्ट हो गया कि उन पर प्रधानमन्त्री की नाराज़गी का कोई असर नही हुआ है। बल्कि प्रज्ञा के आचरण पर पार्टी से रिपोर्ट मांगी गयी थी लेकिन यह रिपोर्ट भी अभी तक सामने नही आयी है।

इसी तरह भाजपा के गुरदासपुर के सांसद सन्नी दियोल भी चर्चा में आ गये हैं दियोल भी संसद में शपथ लेते हुए to uphold the constitution के स्थान पर with hold the constitution का उच्चारण कर गये थे। उनके इस उच्चारण पर उस समय मणीशंकर अय्र जैसे विद्वानों ने सवाल भी उठाये थे। लेकिन उस समय इस पर कोई बड़ा विवाद खड़ा नही हुआ। परन्तु अब दियोल ने अपने संसदीय क्षेत्र में बतौर सांसद अपने कार्यो और अधिकारियों के साथ बैठकें करने आदि के लिये अपना गुरप्रीत नाम का एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है। यह गुरप्रीत सिंह व्यवहारिक तौर पर अधिकारियों और जनता के बीच एक तरह से सांसद ही बन जायेगा यह स्वभाविक है। दियोल ने वाकायदा पत्र लिखकर यह प्रतिनिधि नियुक्त किया है। सोशल मीडिया में यह पत्र वायरल होकर चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा दियोल के इस आचरण पर एकदम खामोश है क्योंकि वह अमितशाह और मोदी की विशेष पसन्द रहे हैं।

इन सांसदो के साथ ही मध्यप्रदेश के इन्दौर से भाजपा विधायक आकाश विजय वर्गीय चर्चा में आ गये हैं। उन्होंने अपने बैट से सरेआम अधिकारियों को पीट डाला। इस प्रकरण पर पुलिस में मामला दर्ज हुआ और उनकी गिरफ्तारी तक हो गयी। इस प्रकरण में उन्होंने मीडिया में दिये अपने ब्यान में बड़े गर्व से यह स्वीकारा है कि उन्हे शिक्षा ही यह दी गयी है कि **'' पहले आवेदन फिर निवेदन और अन्त में दनादन''** आकाश के ब्यान से सत्ता की ताकत का स्पष्ट पता चलता है। यही नही जब आकाश के इस आचरण की निन्दा होने लगी तब उनके इस शौर्य को महिमामण्डित करते हुए भाजपा के ही कुछ लोगों ने एक गाना तक इस पर रच दिया। पूरी भाजपा की ओर से आकाश के इस आचरण की कोई निन्दा नही आयी। अब इस पर भी प्रधानमंत्री की ओर से ही यह आया है कि आकाश चाहे किसी का भी बेटा रहा हो परन्तु ऐसे लोगों का पार्टी में कोई स्थान नही है। प्रधानमन्त्री द्वारा निंदा किये जाने के बाद संगठन कब क्या कारवाई करता है यह अभी सामने आना है। लेकिन आकाश के इस आचरण के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ के एक अस्पताल के दौरे के दौरान पत्रकारों को वहीं एक कमरे में बन्द करने और मुख्यमन्त्री के जाने के बाद उन्हे छोड़ने का प्रकरण सामने आया है। इस पर योगी से लेकर मोदी तक किसी की कोई प्रतिक्रिया सामने नही आयी है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ भाजपा में एक बड़ा नाम होते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के अतिरिक्त केन्द्रिय मन्त्री प्रहलाद पटेल के बेटे का नाम भी दबंगई में जुड़ गया है उसके ऊपर गोली चलाने का आरोप है। इसी आरोप में वे गिरफ्तार हो चुके हैं और अब तक जेल मे ही हैं। अब इस कड़ी में कांग्रेस के विधायक नितेश राणे का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ एक इंजिनियर को पुल पर रस्सीयों से बांध कर उस पर बाल्टी भर के कीचड़ फैंका है। नितेश राणे महराष्ट्र के पूर्व मुख्यमन्त्री नारायण राणे के बेटे हैं। नारायण अब भाजपा के सांसद हैं और कल को उनके बेटे नितेश राणे भी भाजपा के विधायक हो सकते हैं।

ऐसे कई प्रकरण सामने आते जा रहे हैं जहां नेताओं द्वारा सत्ता की ताकत का इस तरह का आपराधिक प्रदर्शन सामने आता जा रहा है। आज जो समर्थन भाजपा को मिला हुआ है उसके बाद एक बार फिर अन्य राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ का दौर शुरू हो गया है। आन्ध्र प्रदेश के चार राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गये हैं। लेकिन यह वही सांसद है जिनके खिलाफ पिछले दिनों सीबीआई ने भाजपा महामन्त्री जी वी एल नरसिम्हाराव की शिकायत पर छापेमारी करके हजारों करोड़ के घपलों के मामले दर्ज किये हैं। जब इस तरह की पृष्ठभूमि के लोग भाजपा में शामिल होंगे तो इसका संदेश यही जायेगा कि क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों के लिये गंगोत्री बन गयी है। यह ठीक है कि आम आदमी आज इस सबका मूक दर्शक होने के अतिरिक्त और कुछ नही कर सकता है लेकिन वह यह अवश्य कहेगा कि भाजपा भी अन्य दलों जैसी ही है।

यह जो कुछ घट रहा है उसके इन नायकों के अपने –अपने तर्क हो सकते हैं जिनके आधार पर यह लोग अपने–अपने कृत्यों को सही ठहरा सकते हैं लेकिन जिस ढंग से यह हुआ है उसके पीछे सीधे और स्पष्ट रूप से सत्ता की ताकत के नशे की गंध आ रही है। शायद सत्ता के इन्ही प्रतीकों का दूसरा रूप जनता में भीड़ हिंसा होता जा रहा है। भीड़ हिंसा के जितने भी मामले सामने आये हैं उनके पीछे गो तस्करी के आरोप का तर्क परोसा जा रहा है। यदि इस तर्क को मान भी लिया जाये तो यह सवाल उठता है कि इस तस्करी को रोकने और उस पर सज़ा देने का काम तो प्रशासनिक तन्त्र तथा अदालत का है लेकिन यहां अदालत और प्रशासन का काम भीड़ ने अपने हाथ में ले लिया है जिन नेताओं और नेता पुत्रों ने अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से पीटने का काम शुरू किया है उन्होंने भी प्रशासन और अदालत का काम अपने हाथ मे ले लिया है।

ऐसे ही यदि कल को यह जनता भी मन्त्रीयों /विधायकों/सांसदो और अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ उनके झूठे वायदें/जूमलों को लेकर इसी संस्कृति का अनुसरण करना शुरू कर दे तो क्या होगा। आज देश के राजनीतिक नेतृत्व को राजनीति में उभरती इस नयी संस्कृति को लेकर गंभीर होना होगा। यदि समय रहते इसे रोका न गया तो यह तय है कि इसके परिणाम गंभीर होंगे।

किसानो की खुदकुशी रोकने वाले बजट का इंतजार.....

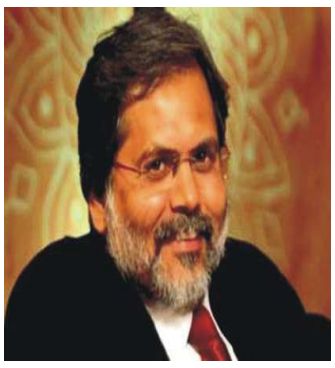

''पूण्य प्रसून वाजपेयी''

वाकई ये सवाल तो है कि जब देश की सियासत में किसान–किसान की आवाज सुनायी देती है। सत्ता परिवर्तन से लेकर सत्ता बचाने के लिये किसान राग देश में गाया जा रहा हो। आने वाल वक्त में किसानों के संघर्ष के आसरे ही व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीद – आस समाजसेवी जगाने में ले हो तब कोई पूछ बैठे कि क्या 2019 का आम बजट ये वादा कर पायेगा कि आने वाले वक्त में किसान खुदकुशी नहीं करेगा? ये ऐसा सवाल है जिसे बजट के दायरे में देखा जाये या ना देखा जाये अर्थशास्त्री इसे लेकर बहस कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ जब सरकार 2022–23 तक देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का वादा कर रही हो तब उसका आधार क्या होगा। कैसे होगा ये तो कोई भी पूछ सकता है। क्योंकि दूनिया में भारत खेती पर टिके जनसंख्या को लेकर नंबर एक पर है। विश्व बैंक की एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 44 फिसदी जनसंख्या खेती पर टिकी है। जबकि अमेरिका–बिट्रेन की सिर्फ एक फिसदी आबादी खेती से जुडी है और एशिया में पाकिस्तान के 42 फिसदी तो बांग्लादेश के 40 फिसदी और श्रीलंका के 26 फिसदी लोग खेती से जुडे हैं। और भारत के इक्नॉमी इन सब से बेहतर है। लेकिन खुदकुशी करते किसानों की तादाद भी भारत में नंबर एक है। सिर्फ महाराष्ट्र में हर तीसरे घंटे एक किसान खुदकुशी कर लेता है। चार साल में 12000 किसानो ने खुदकुशी की, तो देश में हर दूसरे घंटे एक किसान की खुदकुशी होती है। देश का अनूठा सच ये भी है कि भारत की जीडीपी में 48 फिसदी योगदान उसी ग्रामीण भारत का है जहां 75 फिसदी लोग खेती से जुडे हैं। तो फिर बजट से उम्मीद क्या की जाये। क्योंकि 5 ट्रिलियन डालर इक्नॉमी के मतलब है उत्पादन की विकास दर 14.6 फीसदी हो जाये। कृषि विकास दर 10.1 फीसदी हो जाये। सर्विस क्षेत्र की विकास दर 13.7 फिसदी हो जाये। और जीडीपी की विकास दर 11.7 फीसदी हो। पर ये कैसे होगा कोई नहीं बताता। हालांकि किसान की आय 2022 तक दुगुनी हो जायेगी इसका राजनीतिक ऐलान पांच बरस पहले ही किया जा चुका है। लेकिन सच तो ये भी है कि किसान को फसल उगाने में जितनी रकम खर्च होती है देश में एसएसपी उससे भी कम रहती है। मसलन हरियाणा को ही अगर आधार बना लें तो वहां प्रति क्विंटल गेहूं उगाने में किसान का खर्च होता है 2047 रुपया लेकिन एसएसपी है 1840 रुपये प्रतिक्विंटल। एक क्विंटल कॉटन उगाने में खर्च आता है 6280 रुपये, लेकिन कॉटन का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी है 5450 रुपये। इसी तरह एक क्विंटल मक्का को उगाने में खर्च आता है 2454 रुपये लेकिन एसएसपी है 1700 रुपये। और देश में किसानी का सच तो ये भी है कि 2002 से 2015 तक किसानो की आय में वृद्धि 3.7 फीसदी रही है। और 2014 से 2018 के बीच कृषि

जीडीपी ग्रोथ 2.9 फीसदी रही। यानी किसान की आय की वृद्धि की रफ्तार जहां तक 15 फीसदी के हिसाब से नहीं बढेगी तब तक दुगुनी आय कैसे होगी कोई नही जानता। फिर आलम तो ये भी है कि गन्ना किसानों का बकाया तक देने की स्थिति में सरकार नहीं है। गन्ना मिल और राजनीति में शुगर लॉबी की रईसी किसी से छुपी नहीं है। और सरकार भी उन्हे कितनी राहत कितनी सब्सीडी देती है ये सर्वव्यापी है, लेकिन यूपी में गन्ना किसानो का 10,183 करोड तो कर्नाटक में 1709 करोड और महाराष्ट्र में 1400 करोड रुपया बकाया है। और देश भर में गन्ना किसानो का बकाया 21000 करोड से ज्यादा का है।

तो बजट को कैसे परखा जाये ये सवाल तो हर जहन में होगा क्योंकि देश में 5 करोड किसान बैंक से कर्ज लेने पहुंचते हैं लेकिन कर्ज की रकम दस हज़ार पार नहीं करती कि उनके घर से बकरी–गाय तक उठाने बैंककर्मी पहुंच जाते है। यहां तक की जमीन पर भी बैक कब्जा कर लेती है और बैंक के बाहर किसानों की तस्वीर भी चस्पा कर दी जाती है। लेकिन इसी दौर में कोई कारपोरेट–उघोगपति या व्यापारी बैंक से कर्ज लेकर ना लौटाने का खुला जिक्र कर ना सिर्फ बच जाता है बल्कि सरकार ही उसकी कर्ज ली हुई रकम अपने कंधों पर ढोने के लिये तैयार हो जाती है। आलम ये है कि बैंको से कर्ज लेकर ना लौटाने वालों की तादाद बरस दर बरस बढ़ रही है। 2014–15 में 5349 लोग थे तो 2016–17 में बढ़कर 6575 हो गये और ये बढ़ते बढ़ते 2018–19 में 8582 हो चुके हैं। और तो और मुद्रा लोन के तहत भी एनपीए बीते एक बरस में 68 फिसदी बढ़ गया। 9769 करोड़ से बढ़कर 16,480 करोड हो गया। तो क्या बजट सिर्फ रुपये के हेर फेर का खेल होगा। जिसमें कहां से रुपया आयेगा और कहा जायगा इसको लेकर ही बजट पेश कर दिया जायेगा। क्योंकि अमेरिका की कतार में खडे होने की चाह लिये भारत ये भी नहीं देख पा रहा है कि जिस अमेरिका में सिर्फ एक फीसदी लोग किसानी से जुडे हैं उनके लिए भी 867 बिलियन डालर का विधेयक, फर्म बिल 2019–28, लाया गया। जिसमें पोषण से लेकर बीमा और जमीन के संरक्षण से लेकर समुदायिक समर्थन तक का जिक्र है।

ऐसा भी नहीं है कि सरकार की समझ अब किसानी छोड टेक्नॉलाजी पर जा टिकी हो। तो बजट में उसका जिक्र होगा। सच तो ये है कि टाप 15 इंटरनेट कंपनियां 30 लाख करोड का वेलूयन कर रही है और उनसे टैक्स वसूलने की हिम्मत सरकार कर नहीं पा रही है। गूगल ने ही 2015–16 में भारत में 6000 करोड का कारोबार बताया लेकिन बिसने वर्लड ने इस आंकडे को 4.29 लाख करोड बताया। अगले दो बरस में ई–कामर्स का बजट भारत में 200 बिलियन डालर हो जायेगा। लेकिन बजट बेफिक्र रहेगा और ईस्ट इंडिया की गुलामी से उबर चुका भारत अब इंटरनेट कंपनियों की गुलामी के लिये तैयार है। और आखरी सच तो देश का यही है कि जिस महाराष्ट्र में बारिश ने कहर बरपा दिया। मुबंई पानी पानी हो गई, फ्लाइट रुक गई, रेलगाडी थम गई, सत्ता का गलियारा बारिश में तैरता दिखा, बिजली के करंट और दीवार गिरने से 50 से ज्यादा मौत हो गई उस मुंबई के मेयर ये कहने से नहीं चुकते कि मुंबई में पीने का पानी खत्म हो चला है। मराठवाडा–विदर्भ में भी पानी नहीं है। तो फिर किसानों की खुदकुशी का जिक्र किये बगैर कैसे किसानों का हित साधने वाला बजट आने वाला है इसका इंतजार आप भी किजिये...हम भी करते हैं।

लोकसभा चुनाव और चुनाव आयोग की निष्पक्षता सवालों में

इस बार हुए लोकसभा चुनावों और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर देश के पूर्व वरिष्ठ चौंसठ नौकरशाहों ने गंभीर सवाल उठाये हैं। इनका आरोप है कि इस तरह का आचरण चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार सामने आया है। आयोग के आचरण ने लोकतन्त्र के भविष्य पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं। इन वरिष्ठ नौकरशाहों का यह पत्र ''द वायर'' में छप चुका है। इनमें हिमाचल के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन भी एक प्रमुख हस्ताक्षरी हैं।

New Delhi: Over 60 retired civil servants have written to the Election Commission of India (ECI) to draw attention to 'serious anomalies' in the manner in which Lok Sabha elections 2019 were conducted, saying they were among the "least free and fair elections" in three decades. Held in seven phases from April 11 to May 19, the general elections saw the incumbent Bharatiya Janata Party returning to power with a greater majority.

The July 2 letter addressed to chief election commissioner Sunil Arora, and election commissioners Ashok Lavasa and Sushil Chandra, points that it is the duty of the ECI to be transparent and accountable to the Indian citizens. However, 'repeated omissions and commissions' of the poll body, the letter states, have created an impression "that our democratic process is being subverted and undermined by the very constitutional authority empowered to safeguard its sanctity."

"So blatant have been the acts of omission and commission by the ECI that even former Elections Commissioners and CECs have been compelled, albeit reluctantly, to question the decisions of their successors in office."

The signatories further note that the poll body moved away from past convention by delaying the announcement of the elections results, showing a "bias" towards "one particular party."

Also read: We Voters Did Our Duty but the Election Commission Failed to Do the Same

ECI's delay till March 10, the letter notes, created "reasonable doubt" that the poll body had done so "deliberately" in order to "enable Prime Minister Narendra Modi to complete the inauguration blitz of a slew of projects (157 of them) that he had scheduled between February 8 and March 9." The election body adjusting to the government's schedule rather than the other way round also raises doubts about the ECI's "independence and impartiality."

Writing for The Wire, Sidharth Bhatia had raised similar concerns, saying that the voters' faith in the ECI has deteriorated, which does not bode well for democracy.

The letter, which was also endorsed by 83 veterans, academics and activists, also took note of media reports on voter exclusion. The Wire reported in late February that nearly 55 lakh voters in Andhra Pradesh and Telangana were left out of the electoral process due to the linkage of electoral photo identity card and Aadhaar taken up by the ECI in 2015. Activists had said that 40 million Muslims and 30 million Dalits were not on electoral rolls. The signatories state that the charges may not have been true, but "it was incumbent upon the ECI to investigate them and respond promptly."

"Many voters who had exercised their mandates in earlier elections found their names missing. The ECI's failure to effectively answer these allegations further tarnished its reputation."

The ECI's 'bias' in dealing with the flouting of the model code of conduct (MCC) by candidates was much talked about during the election process. After first refusing to act on the repeated complaints against Modi violating the MCC by invoking the armed forces in his speeches during poll rallies, the Election Commission had ended up giving him a clean-chit.

Also read: EC's 'Studied Silence' on Complaints About Modi Playing Politics with Armed Forces

The BJP president as well had allegations of MCC violation levelled against him for saying that "illegal immigrants would be thrown into the Bay of Bengal," however, as the letter notes, "Only when pulled up by the Supreme Court did the ECI suddenly discover its powers, even then exercising them selectively on the small fry and ignoring the more egregious cases of violation by the Prime Minister and the BJP Party President."

In the 20-point letter, the signatories then go on to take note of the 'glaring bias' in the case of Mohammed Mohsin, a 1996-batch Karnataka cadre IAS officer, who the EC suspended in mid-April for checking Prime Minister's Modi's helicopter, saying it was not in accordance with the poll body's guidelines.

"It was pointed out, even at that time, that similar checks had been carried out on the helicopters of the Odisha CM Mr. Naveen Patnaik and the then Petroleum Minister Mr. Dharmendra Pradhan, with no objections from the dignitaries concerned. However, the ECI could not and did not explain its double standards."

The letter also takes note of NITI Aayog, the Central government think-tank, calling on bureaucrats to provide the PMO with information about destinations Modi was to visit on the campaign trail. The retired civil servants point out that while this was a "blatant violation of the MCC", the commission "merely dismissed the complaint."

Further, from repeated media violations of the ruling party and lack of transparency in electoral funding to dwindling confidence in EVMs, the letter notes that "Viewed in totality, there is no doubt that the mandate of 2019 has been thrown into serious doubt."

"The concerns raised are too central to the well-being of our democracy for the ECI to leave unexplained. In the interests of ensuring that this never happens again, the ECI needs to pro-actively issue public clarifications in respect of each of these reported irregularities and put in place Page 6 of 12 steps to prevent such incidents from occurring in future. This is essential to restore the people's faith in our electoral process."

Full list of Signatories

1. S.P. Ambrose IAS (Retd.) Former Additional Secretary, Ministry of Shipping & Transport, GoI
2. Mohinderpal Aulakh IPS (Retd.) Former Director General of Police (Jails), Govt. of Punjab
3. G. Balachandhran IAS (Retd.) Former Additional Chief Secretary, Govt. of West Bengal
4. Vappala Balachandran IPS (Retd.) Former Special Secretary, Cabinet Secretariat, GoI
5. Gopalan Balagopal IAS (Retd.) Former Special Secretary, Govt. of West Bengal
6. Chandrashekhar Balakrishnan IAS (Retd.) Former Secretary, Coal, GoI
7. Sharad Behar IAS (Retd.) Former Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh
8. Madhu Bhaduri IFS (Retd.)Former Ambassador to Portugal
9. Pradip Bhattacharya IAS (Retd.) Former Additional Chief Secretary, Development & Planning and Administrative Training Institute, Govt. of West Bengal
10. Meeran C Borwankar IPS (Retd.) Former DGP, Bureau of Police Research and Development, GoI
11. Sundar Burra IAS (Retd.) Former Secretary, Govt. of Maharashtra
12. Kalyani Chaudhuri IAS (Retd.) Former Additional Chief Secretary, Govt. of West Bengal
13. Javid Chowdhury IAS (Retd.) Former Health Secretary, GoI
14. Surjit K. Das IAS (Retd.) Former Chief Secretary, Government of Uttarakhand
15. P.R. Dasgupta IAS (Retd.) Former Chairman, Food Corporation of India, GoI
16. Keshav Desiraju IAS (Retd) Former Health Secretary, GoI
17. M.G. Devasahayam IAS (Retd.) Former Secretary, Govt. of Haryana
18. K.P. Fabian IFS (Retd.) Former Ambassador to Italy
19. Arif Ghauri IRS (Retd.) Former Governance Adviser, DFID, Govt. of the United Kingdom (on deputation)
20. Gourisankar Ghosh IAS (Retd.) Former Mission Director, National Drinking Water Mission, GoI Page 7 of 12
21. S.K. Guha IAS (Retd.) Former Joint Secretary, Department of Women & Child Development, GoI
22. Meena Gupta IAS (Retd.) Former Secretary, Ministry of Environment & Forests, GoI
23. Wajahat Habibullah IAS (Retd.) Former Secretary, GoI and Chief Information Commissioner
24. Sajjad Hassan IAS (Retd.) Former Commissioner (Planning), Govt. of Manipur
25. Jagdish Joshi IAS (Retd.) Former Additional Chief Secretary (Planning), Govt. of Maharashtra
26. Kamal Jaswal IAS (Retd.) Former Secretary, Department of Information Technology, GoI
27. Rahul Khullar IAS (Retd.) Former Chairman, Telecom Regulatory Authority of India
28. Ajai Kumar Indian Fores t Service (Retd .) Former Director, Ministry of Agriculture, GoI
29. Arun Kumar IAS (Retd). Former Chairman, National Pharmaceutical Pricing Authority, GoI
30. Sudhir Kumar IAS (Retd.) Former Member, Central Administrative Tribunal
31. P.K. Lahiri IAS (Retd.) Former Executive Director, Asian Development Bank
32. Subodh Lal IPoS (Retd .) Former Deputy Director General, Ministry of Communications, GoI
33. P.M.S. Malik IFS (Retd.) Former Ambassador to Myanmar & Special Secretary, MEA, GoI
34. Harsh Mander IAS (Retd.) Govt. of Madhya Pradesh
35. Lalit Mathur IAS (Retd.) Former Director General, National Institute of Rural Development, GoI
36. Aditi Mehta IAS (Retd.) Former Additional Chief Secretary, Govt. of Rajasthan
37. Sonalini Mirchandani IFS (Resigned) GoI
38. Deb Mukharji IFS (Retd.) Former High Commissioner to Bangladesh and former Ambassador to Nepal
39. Shiv Shankar Mukherjee IFS (Retd.) Former High Commissioner to the United Kingdom Page 8 of 12
40. Sobha Nambisan IAS (Retd.) Former Principal Secretary (Planning), Govt. of Karnataka
41. Amitabha Pande IAS (Retd.) Former Secretary, Inter-State Council, GoI
42. Alok Perti IAS (Retd.) Former Secretary, Ministry of Coal, GoI
43. T.R.Raghunandan IAS (Retd.) Former Joint Secretary, Ministry of Panchayati Raj, GoI
44. N.K. Raghupathy IAS (Retd.) Former Chairman, Staff Selection Commission, GoI
45. J.P. Rai IAS (Retd.) Former Director General, National Skills Development Agency, GoI
46. V.P. Raja IAS (Retd.) Former Chairman, Maharashtra Electricity Regulatory Commission
47. C. Babu Rajeev IAS (Retd.) Former Secretary, GoI
48. M.Y. Rao IAS (Retd.) Former Chairman and MD of Grid Corporation of Orissa
49. Satwant Reddy IAS (Retd.) Former Secretary, Chemicals and Petrochemicals, GoI
50. S.S.Rizvi IAS (Retd.) Former Joint Secretary, Ministry of Environment and Forests, GoI
51. Aruna Roy IAS (Resi gned)
52. Deepak Sanan IAS (Retd.) Former Principal Adviser (AR) to Chief Minister, Govt. of Himachal Pradesh
53. N.C. Saxena IAS (Retd.) Former Secretary, Planning Commission, GoI
54. Abhijit Sengupta IAS (Retd.) Former Secretary, Ministry of Culture, GoI
55. Aftab Seth IFS (Retd.) Former Ambassador to Japan
56. Ashok Kumar Sharma IFS (Retd.) Former Ambassador to Finland and Estonia
57. Navrekha Sharma IFS (Retd.) Former Ambassador to Indonesia
58. Raju Sharma IAS (Retd.) Former Member, Board of Revenue, Govt. of Uttar Pradesh
59. Rashmi Shukla Sharma IAS (Retd.) Former Additional Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh
60. K. Ashok Vardhan Shetty IAS (Retd.) Former Vice Chancellor, Indian Maritime University, GoI
61. Jawhar Sircar IAS (Retd.) Former Secretary, Ministry of Culture, GoI, & former CEO, Prasar Bharati
62. Parveen Talha IRS (Retd.) Former Member, Union Public Service Commission
63. P.S.S. Thomas IAS (Retd.) Former Secretary-General, National Human Rights Commission
64. Hindal Tyabji IAS (Retd.) Former Chief Secretary rank, Govt. of Jammu & Kashmir

द वायर से साभार.....

मंत्रिमण्डल ने लिया प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बन्द करने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में पिछले महीने कुल्लू जिला के बंजार में हुए बस हादसे में 44 लोगों की मृत्यु और तीन दिन पूर्व शिमला के झंझीड़ी में एक अन्य बस दुर्घटना में दो स्कूली छात्राओं सहित बस चालक की मृत्यु पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की।

राज्य में सड़क सुरक्षा नियमों को समुचित तरीके से लागू करने के उद्देश्य से परिवहन निदेशालय में निदेशक/आयुक्त, परिवहन की अध्यक्षता में लीड एजेंसी/सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। यह प्रकोष्ठ राज्य में सड़क सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी करेगा। इसमें पुलिस, लोक निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभागों के विशेषज्ञों के अतिरिक्त अन्य सहायक स्टाफ तैनात किया जाएगा।

चम्बा जिला की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चम्बा में सेवाएं देने के लिए संकाय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने प्राचार्य को 50 हजार रुपये, सह–प्राचार्य को 30 हजार तथा सहायक प्राचार्य को 20 हजार रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की। यह प्रोत्साहन राशि उनके अनुबंध वेतन के अतिरिक्त होगी। इसके अलावा शिक्षकों और वरिष्ठ आवासीय चिकित्सकों को इस महाविद्यालय में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें 15 हजार रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमण्डल ने राज्य में 'सहारा' योजना आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन रोगियों को दो हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे जो चिन्हित गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। इस योजना का उद्देश्य इन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

मंत्रिमण्डल ने सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसके लिए शहरी विकास विभाग के पास उपलब्ध भूमि को परिवहन विभाग के नाम स्थानान्तरित किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने वन विभाग में अनुबंध आधार पर वन रक्षकों के 113 पद भरने का निर्णय लिया ताकि प्रदेश में वन सम्पदा का समुचित संरक्षण और संवर्द्धन किया जा सके।

इसके अतिरिक्त स्थानीय लेखा विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से कनिष्ठ लेखा परीक्षकों के 14 पद अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में कांगड़ा जिला के अंतर्गत ढलियारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यक पदों के सृजन एवं इन्हें भरने सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया।

बैठक में हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों में सहायक प्राचार्य के 15 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर भरे जाएंगे।

कांगड़ा जिला के सुलह स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। यहां विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों का सृजन करने के उपरान्त इन्हें भरा जाएगा।

इसके अतिरिक्त नाहन मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों में भी सहायक प्राचार्य के 14 पद भरने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में पालमपुर स्थित नगर

नियोजन कार्यालय को उप–मण्डलीय नगर नियोजन कार्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इस कार्यालय के लिए आवश्यक पदों का सृजन भी किया जाएगा।

प्रदेश की नगर परिषदों में सफाई निरीक्षकों के छः पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है।

बैठक में कृषि विभाग में सांख्यिकी सहायकों के 19 पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

कृषि विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दस पद भरे जाएंगे, जिन्हें प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरा जाएगा।

इसी प्रकार, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में आशुटंककों के 40 पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के सुलह में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नया उप–मण्डल और ठाकुरद्वारा में अनुभाग खोलने का निर्णय किया है।

मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी की विभिन्न श्रेणियों के 1026 पदों को पम्प अटेंडेंट के रूप में परिवर्तित करने तथा पात्र जल रक्षकों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप इन पदों पर अनुबंध आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया।

बैठक में कार्यशील पत्रकार की मृत्यु की स्थिति में पत्रकार कल्याण योजना के अंतर्गत उसके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता दो लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए यह वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की गई है।

प्रदेश की अत्यन्त संवेदनशील 200 बीट में कार्यरत वन रक्षकों को हथियारों की खरीद के लिए अनुदान राशि 12 हजार रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 15 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

हाल ही में खोले गए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय नालागढ़ तथा सिविल कोर्ट बंजार, तीसा व शिलाई के लिए रिकॉर्ड कीपर के चार पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के सुन्दरनगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय और कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर में सिविल कोर्ट स्थापित करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।

पुलिस विभाग में 79 मोटर साईकिल, 25 छोटे वाहन, 7 मिनी बसें, एक बड़ी बस और दो ट्रक खरीदने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

बैठक में प्रदेश उच्च न्यायालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के पांच पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।

प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कृषि क्षेत्र में आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना लागू करने तथा इसे हिमाचल खुम्ब विकास योजना के नाम से पुनर्नामित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत मशरूम उत्पादन अपनाने वाले सभी श्रेणी के किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी जो कृषि विभाग के साथ पंजीकृत हैं।

मंत्रिमण्डल ने 40 मैगावाट क्षमता वाले बग्गी हाईड्रो पावर हाउस के निष्पादन के लिए इसे भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड को आवंटित करने का निर्णय लिया है।

पूर्व सैनिकों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है कि भविष्य में उन्हें होमगार्ड के स्थान पर परिवहन विभाग के 12 आरटीओ बैरियरों में तैनात किया जा सकता है।

बिलासपुर जिला के डोला व झिड़िया, कांगड़ा जिला के खाबली, मण्डी जिला के भमसोई, गरलोग, कशोड़, नरवंडी और कूट माध्यमिक स्कूल को उच्च विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार मण्ड़ी जिला के नन्दी व छम्यार उच्च विद्यालयों को आवश्यक स्टाफ के सृजन व इन्हें भरने के साथ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के राजकीय प्राथमिक पाठशाला, कुकलाह को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा इस विद्यालय में आवश्यक पदों को सृजित करने एवं भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने विधायक ऐच्छिक निधि को मौजूदा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के नए सृजित विकास खण्ड बालीचौकी में पंचायत निरीक्षक और उप–निरीक्षक (पंचायत) के पद सृजित करने का निर्णय लिया है। जिला शिमला के विकास खण्ड कुपवी में उप–निरीक्षक के पद को सृजित करने का निर्णय भी लिया गया है।

प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बन्द करने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश की पांच जल विद्युत परियोजनाओं होंगी जल्द शुरू

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विद्यमान विपुल जल विद्युत क्षमता के तीव्र दोहन के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है तथा इस क्षेत्र में निजी निवेश को भी बढ़ावा दे रही है।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र विकास का ईजन होता है और इसके दोहन से रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तेज करने के प्रयास जारी हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य धीमा पड़ा हुआ था।

मुख्यमंत्री ने यह बात प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति समीक्षा तथा निवेश पर विचार–विमर्श करने के लिए आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अधयक्षता करते हुए कही।

जय राम ठाकुर ने कहा कि अगस्त माह में एसजेवीएनएल को आवंटित पांच जल विद्युत परियोजनाओं पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि इन परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य आरम्भ किया जा सके। इन परियोजनाओं में लुहरी चरण–1 (210 मैगावाट), सुन्नी डेम (382 मैगावाट), धौलासिद्ध (66 मैगावाट), लुहरी चरण–2 (172 मैगावाट) तथा जंगी थोपन (780 मैगावाट) शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पांचों परियोजनाओं में 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश तथा आठ हजार लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि चनाब नदी पर तीन हजार मैगावाट जल विद्युत क्षमता के दोहन की संभावनाएं हैं परन्तु यहां आवंटित पांच जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को रियायतें उपलब्ध करवाने के उपरान्त इन परियोजनाओं को पुनः आवंटित करने की संभावनाओं की तलाश की जाएंगी।

प्रधान सचिव बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा प्रबोध सक्सेना, एसजेबीएनएल के चेयरमेन एवं प्रबन्ध निदेशक नन्द लाल शर्मा, ऊर्जा निदेशक मानसी सहाय तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।

सांस्कृतिक आदान–प्रदान से सुदृढ़ होता है भाईचारा:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। सांस्कृतिक आदान–प्रदान और छात्रों के विभिन्न

राज्यों के शैक्षणिक भ्रमणों से न केवल उनका देश की समृद्ध व विविध संस्कृति से परिचय होता है, अपितु इससे राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को और सुदृढ़ करने में भी सहायता मिलती है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात जम्मू और कश्मीर के छात्रों को सम्बोधित करते हुए कही। यह छात्र केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समग्र शिक्षा अभियान के तहत 'स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम' के तहत हिमाचल के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक पहुंच, समानता एवं गुणात्मकता, रोज़गारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देना और अध्यापन शिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण है। उन्होंने कहा कि शिक्षा न केवल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है अपितु यह व्यक्ति में नैतिक मूल्यों का संचार भी करती है, जिससे वह एक उत्तरदायी और अच्छा नागरिक बनता है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि पड़ोसी राज्य होने के नाते हिमाचल प्रदेश व जम्मू और कश्मीर में भौगोलिक और जलवायु सम्बन्धित समानताएं हैं और दोनों राज्यों के लोग परिश्रमी और विनम्र हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम विद्यार्थियों को संस्कृति, परम्परा, जीवनशैली और देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों की भावनाओं से परिचित करवाने में सहायक हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की साक्षरता दर केरल के बाद भारत में दूसरे स्थान पर है और राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ करने पर बल दे रही है।

जन मंच में अब तक 34 हजार से अधिक समस्याओं और शिकायतों का निपटारा

शिमला/शैल। रविवार को किन्नौर जिला को छोड़ प्रदेश के 11 जिलों में आयोजित जन मंच में 2076 शिकायतें व मांगें प्राप्त हई। किन्नौर जिला में जन मंच का आयोजन 14 जुलाई को किया जाएगा। प्रदेश में अब तक आयोजित जन मंच में 34 हजार से अधिक समस्याएं व शिकायतें प्रदेश सरकार के समक्ष आई हैं, जिनमें से अधिकतर का निपटारा किया जा चुका है।

ऊना जिला के ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र के कुठार खुर्द में आयोजित जनमंच में कुल 113 समस्याएं प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकतर का मौके पर समाधान किया गया। जन मंच से पूर्व जिला में 19 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश विधानसभा उपाधयक्ष हंसराज ने की। जन मंच से पूर्व की गतिविधियों के दौरान जिला में 827 प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

विधानसभा उपाध्यक्ष ने इस दौरान 92 परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन, व 20 नवजात शिशुओं की माताओं को बेबी केयर किट्स प्रदान की तथा जम्मू में मधुपालन प्रशिक्षण के लिए जा रहे 30 सदस्यीय किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा, उद्यान विभाग की प्रदर्शनी में 40 युवाओं ने स्वावलंबन योजना की जानकारी प्राप्त की।

सिंचाई एवं जनस्वाथ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में जोगिन्दर नगर के लडभड़ोल में आयोजित जन मंच कार्यक्रम में 280 आवेदन प्राप्त हुए जबकि जन मंच से पूर्व 46 मामले प्राप्त हुए थे। इनमें से 81 शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया।

उन्होंने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 50 एलपीजी गैस कनेक्शन और विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र वितरित किए।

शिमला जिला के दूर-दराज क्षेत्र कुपवी में जन मंच को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कुपवी क्षेत्र में 3 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत से निर्मित की जाने वाली उठाऊ पेयजल योजना को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिमला से धार-चानना के लिए शीघ्र पथ परिवहन निगम की बस सेवा चलाई जाएगी। उन्होंने शिमला-मशोत बस सेवा को नियमित रूप से चलाने के भी निर्देश दिए गए।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कुपवी तहसील में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र एसएमसी के माध्यम से भरा जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने विद्युत विभाग को क्षेत्र में पुराने बिजली के खंभे बदलने और लोक निर्माण विभाग को सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जन मंच में प्राप्त सभी 85 जन शिकायतों का मौके पर निवारण किया गया। इस दौरान लोगों द्वारा 79 मांग पत्र भी दिए गए।

कुल्लू जिले में जन मंच निरमंड विकास खंड में आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता जनजातीय विकास और कृषि मंत्री ड . रामलाल मारकंडा ने की। इस दौरान 145 शिकायतों की सुनवाई की गई जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही किया गया।

डा. मारकंडा ने लाभार्थियों को 168 गैस कनैक्शन बांटे और बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत 13 कन्याओं को एफडी के दस्तावेज प्रदान किए। स्वास्थ्य शिविर में लगभग 120 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इसके अलावा, राजस्व विभाग ने लोगों को विभिन्न प्रमाण पत्र मौके पर ही बनाकर दिए।

जिला चम्बा में जन मंच भरमौर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने की। जन मंच में शिकायतों व मांगों के लगभग 271 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। परमार ने कहा कि सरकार चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर रही है जिसमें दूर-दराज क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश के प्राथमिक व स्वास्थ्य उप-केंद्रों का चरणबद्ध तरीके से उन्नयन किया जा रहा है। जिला चम्बा में 65 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व उप-स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य एवं वैलनेस केंद्रों में परिवर्तित करने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

स्वास्थ्य मंत्री ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को निशुल्क गैस कनेक्शन तथा बेटी है अनमोल योजना के तहत लाभार्थियों को एफडी भी प्रदान की। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चयनित अभ्यर्थियों को कागजात भी प्रदान किए।

हमीरपुर जिला में जन मंच का आयोजन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर की अध्यक्षता में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पटलांदर में किया गया। जनमंच में प्राप्त 102 शिकायतों में से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया गया।

वीरेंद्र कवंर ने 74 लाभार्थियों को नि:शुल्क गैस कुनेक्शन और विभिन्न प्रमाण पत्र वितरित किए।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दरीणी में आयोजित जन मंच की अध्यक्षता की। यहां 116 शिकायत पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 70 निपटारा मौके पर किया गया।

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। अधिक से अधिक युवाओं को लाभान्वित करने के लिए योजना के अन्तर्गत अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष की गई है। उन्होंने सभी युवाओं से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आहवान किया।

उद्योग मंत्री ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन और बीपीएल परिवारों की 22 बच्चियों को एफडीआर वितरित कीं।

वन, परिवहन, युवा सेवाऐं एवं खेल मंत्री गोविन्द ठाकुर ने लाहौल-स्पीति जिला के काजा में जन मंच की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में 13 पंचायतों से 142 जन समस्याएं प्राप्त हुई, जिनमें से 109 का निपटारा मौके पर ही किया गया।

वन मंत्री ने इस अवसर पर गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत गैस क्नेक्शन और बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत एफडी वितरित की। स्वास्थ्य व आयुर्वेद विभागों ने इस दौरान 75 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और नि:शुल्क दवाईयां भी प्रदान की गई।

सिरमौर जिला के रेणुका निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विकास खण्ड संगड़ाह के बोगधार गांव में जन मंच की अध्यक्षता करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि जिला के कुछ कस्बों में कार्य कर रहे झोलाछाप चिकित्सकों का औचक निरीक्षण किया जाए। जिन चिकित्सकों के पास मापदण्डों के अनुरूप चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने की डिग्री नहीं है, उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

जन मंच में कुल 199 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 80 मामलों का निपटारा मौके पर किया गया और मंत्री ने शेष शिकायतों का समाधान 15 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए।

बिलासुपर सदर विधानसभा क्षेत्र के मल्यावर में जन मंच की अध्यक्षता राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश ध्वाला ने की। जन मंच में 318 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जबकि जन मंच से पूर्व 238 आवेदन पत्र अपलोड किए गए। इस कार्यक्रम में कुल 184 मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं को सरकार ने कई शक्तियां प्रदान की हैं। गांवों के समुचित विकास के लिए पंचायत प्रतिनिधी अधिकारियों के साथ आपसी समन्वय से योजनाओं के शैल्फ बनाएं जिसमें प्राथमिकता के आधार पर एम्बुलैंस मार्ग को शामिल करें।

भाजपा के मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने कहा कि प्रदेश में अब तक आयोजित जन मंचों के माध्यम से 32 हजार से अधिक समस्याएं व शिकायतें प्रदेश सरकार के समक्ष आई हैं, जिनमें से अधिकतर का निपटारा किया जा चुका है। इस दौरान 336 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, विभिन्न प्रकार के 34875 प्रमाण-पत्र बनाए गए और 418 शौचालय मंजूर किए गए।

जन मंच में 161 समस्याएं प्रस्तुत की गइं, जिनमें से 107 का मौके पर ही निपटारा किया गया। इस दौरान 186 हिमाचली प्रमाण-पत्र सहित अन्य कई प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनमंच में प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय में निपटारा सुनिश्चित बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जन मंच की शिकायतों का अनुश्रवण सीधे मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव भी कर रहे हैं तथा अब जिले में यह जिम्मेदारी उपायुक्तों को सौंपी जा रही है।

बद्दी में स्थापित करेगा रिलायंस उद्योग मोबाईल असेम्बलिंग इकाइयां

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने रिलायंस उद्योग के शिमला पहुंचे एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जानकारी दी कि राज्य सरकार ने सोलन जिला के बद्दी में भूमि का एक बेहतरीय प्लॉट चिन्हित किया है जहां रिलायंस उद्योग मोबाईल असेम्बलिंग इकाइयां स्थापित कर सकता है। रिलायंस उद्योग प्रदेश में कृषि, बागवानी उत्पाद,

जियो नेटवर्किंग, खेल क्षेत्र, पर्यटन रिजॉर्ट तथा मोबाईल असेम्बलिंग इकाइयां स्थापित करने जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं का पता लगाने हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आया है।

शिमला पहुंचने पर रिलायंस उद्योग के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस आशय की जानकारी दी। यह प्रतिनिधिमंडल, अभी हाल ही में मुम्बई में मुख्यमंत्री की रिलायंस उद्योग के चेयरमेन मुकेश अंबानी के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक के परिणामस्वरूप प्रदेश के दौरे पर आया है।

इस अवसर पर प्रदेश में विद्यमान क्षमताओं एवं संभावनाओं का उल्लेख करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जलवायु की विविध परिस्थितियों के कारण यहां अनेक प्रकार के फलों, सब्जियों और दालों इत्यादि के उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश पहले ही सेब राज्य के रूप में जाना जाता है और देश का फल राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि कृषि तथा बागवानी पर आधारित उद्योग लगाने की व्यापक संभावनाएं यहां विद्यमान हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र पर ध्यान देने से जहां निवेशकों को अच्छे अवसर मिलेगें वहीं किसानों की आय दोगुना करने के सरकारी प्रयासों को भी बल मिलेगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि खाद्य एवं फल प्रसंस्करण एक अन्य क्षेत्र है जहां निवेश की व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं। उन्होंने कहा कि सेब व मशरूम यहां की मुख्य पैदावार है, जिनके बेहतर विपणन के लिए लॉजिस्टिक की आवश्यकता है। उन्होंने रिलायंस उद्योग को इस क्षेत्र में भी निवेश के लिए आगे आने को कहा ताकि यहां किसानों का न केवल ज्ञानवर्धन हो सके बल्कि उन्हें नई तकनीक की भी जानकारी प्रदान की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के नाते यहां युवा ऊर्जावान हैं और खेल गतिविधियों को व्यापक बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने रिलायंस ग्रुप से खेल क्षेत्र में भी आगे आने को कहा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला तथा शिमला जैसे स्थलों में हाईएल्टीच्यूड प्रशिक्षण केन्द्र तथा प्रतिभा पहचान खेल केन्द्र स्थापित की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने कांगड़ा के गग्गल के समीप सराह में 80 बीघा भूमि चिन्हित की है जहां एक सर्वश्रेष्ठ खेल केन्द्र विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार मण्डी तथा शिमला में भी ऐसे केन्द्र स्थापित किए जा सकते हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि जियो नेटवर्क की प्रदेश के 80 प्रतिशत लोगों तक पहुंच हो गई है तथा कम्पनी को प्रदेश में और अधिक बेहतर ओप्टीकलफाईबर नेटवर्क स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी ऐसा करना आवश्यक है। राज्य सरकार इसके लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि जियो टावर स्थलों तक बिजली सुविधा उपलब्ध करवाने के भी सरकार प्रयास करेगी।

उल्लेखनीय है कि रिलायंस उद्योग के चेयरमेन के साथ मुख्यमंत्री की हुई बैठक में उन्होंने धर्मशाला में पंचतारा होटल स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस कार्य के लिए उन्हें शीघ्र भूमि उपलब्ध हो ताकि यहां यह भव्य पर्यटक रिजॉर्ट स्थापित किया जा सके।

निदेशक उद्योग हंसराज शर्मा ने मुख्यमंत्री और रिलायंस उद्योग के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

राज्य के दौरे पर आई रिलायंस उद्योग की टीम के प्रमुख महेन्द्र नाहाटा ने रिलायंस उद्योग को राज्य में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.51 करोड़ का योगदान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश जनरल इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (जीआईसी) और हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एचपीएसआईडीसी) ने मुख्यमंत्री जय

राम ठाकुर को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51-51 लाख रुपये के चैक भेंट किए।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51 लाख रुपये का चैक भेंट किया।

हिमाचल प्रदेश सचिवालय के राजपत्रित अधिकारी संघ ने भी 1.51 लाख रुपये का चैक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किया।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के राजपत्रित अधिकारी संघ, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड और दोनों निगमों का इस पुनीत कार्य में योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके द्वारा दिया गया यह योगदान गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने समाज के परोपकारी और सम्पन्न वर्ग से इस कोष में योगदान देने के लिए आगे आने का आग्रह किया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

ट्रिब्यूनल के बन्द होने से और लम्बा होगा न्याय का इन्तजार

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने अन्ततः प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बन्द करने का फैसला ले लिया है। लेकिन यह फैसला लेने में सरकार को डेढ़ वर्ष का समय लग गया है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भाजपा सत्ता में आने पर बन्द कर देगी ऐसा कोई वायदा स्पष्ट रूप से विधानसभा चुनावों के लिये जारी किये गये घोषणा पत्र में भी नही किया गया था। फिर इस डेढ़ वर्ष के समय में ट्रिब्यूनल के खाली चले आ रहे दोनों प्रशासनिक सदस्यों के पदों को भरने के लिये प्रक्रिया भी जारी रही। इसके लिये तीन बार आवेदन आमन्त्रित किये गये। अन्त में चयन पैनल ने इसके लिये नामों का चयन करके नामों की सूची प्रदेश सरकार को अगली कारवाई के लिये भी भेज दी। नामों की संस्तुति की यह फाईल कई दिनों तक मुख्यमन्त्री के कार्यालय में रही और भारत सरकार को नही भेजी गयी। यह प्रक्रिया इतने लम्बे समय तक चलाये रखने से यही संदेश जाता रहा कि सरकार ट्रिब्यूनल को बन्द करने की कोई मंशा नही रखती है। इसमें पड़े खाली पदों को प्रशासनिक अधिकारियों में से ही भरा जाना था और ऐसे ही अधिकारियों ने इसके लिये आवेदन कर रखा था। आवेदकों में कुछ सेवानिवृत और कुछ सेवारत अधिकारी थे। जिन दो अधिकारियों का अन्त में चयन हुआ था उनमें एक मुख्यमंत्री के वर्तमान प्रधानसचिव अतिरिक्त मुख्यसचिव डॉ. बाल्दी और दूसरे पूर्व प्रधान सचिव अतिरिक्त मुख्यसचिव मनीशा नन्दा थी। यह दोनों अधिकारी मुख्यमन्त्री के विश्वस्तों में गिने जाते हैं। इन अधिकारियों को भी यह पता नही चल सका कि सरकार ट्रिब्यूनल बन्द करने जा रही है। क्योंकि यदि यह पता होता तो शायद यह लोग आवदेक ही न बनते । इससे स्पष्ट हो जाता है कि ट्रिब्यूनल बन्द करने का कारण प्रशासनिक नही बल्कि राजनीतिक रहा है।

जब जयराम सरकार ने सत्ता संभाली थी तभी प्रशासनिक सदस्यों के पद खाली थे। इन खाली पदों के कारण ट्रिब्यूनल का कार्य प्रभावित होता रहा क्योंकि नियमानुसार बेंचों का गठन संभव नही हो सका। सेवारत दोनों सदस्य न्यायिक क्षेत्र से हैं इसलिये यह दोनों जो सिंगल बैठ कर काम निपटा सकते थे इन्होने उतना ही काम किया। ऐसे में यह कहना ज्यादा तर्कसंगत नही बनता कि ट्रिब्यूनल सरकार के खिलाफ ही फैसले दे रहा था और इससे मन्त्री और दूसरे नेता खुश नही थे। बल्कि इस तरह का पक्ष लेकर अपरोक्ष में सरकार पर ही यह आक्षेप आ जाता है कि सरकार फेयर न्याय प्रक्रिया पर विश्वास न रखकर राजनीति से प्रभावित होकर चलने वाली न्याय प्रणाली चाहती थी। क्योंकि ट्रिब्यूनल बन्द करने के फैसले का सरकार का जो तर्क सामने आया है उससे यह संदेश जनता में गया है और ऐसा संदेश जाना कालान्तर में सरकार की छवि के लिये घातक ही होगा।

ट्रिब्यूनल की कार्य प्रणाली पिछले डेढ़ वर्ष से प्रभावित होती चली आ रही है क्योंकि बैंचों का गठन न होने से फैसले हो नही पाये। अब ट्रिब्यूनल से फाईलें फिर उच्च न्यायालय को जायेगी। उच्च न्यायालय में पहले ही दशकों से मामले लंबित पड़े हैं। अब ट्रिब्यूनल का काम भी उच्च न्यायालय में आने से केसों के फैसलों के लिये और समय लगेगा। अब लोगों को अपने केसों के फैसलों के लिये और लम्बा इन्तजार करना पड़ेगा। राजस्व के मामलों में भी सरकार ने एफसी अपील का काम एक समय छः अधिकारियों में बांट दिया था। सबको दो – दो जिलों का काम सौंपा गया था। लेकिन व्यवहारिक रूप से जितने दिन यह व्यवस्था लागू रही उतना समय शायद ही लोगों को फैसले मिल पाये हों। व्यवहारिक रूप से यह फैसला गलत था और अन्त में सरकार को यह फैसला वापिस लेना पड़ा है। इसी तरह अब ट्रिब्यूनल बन्द करने के फैसले से आगे चलकर आम आदमी को व्यवहारिक रूप से कोई लाभ नही होगा। ट्रिब्यूनल की स्थापना को बहुत समय लगा है और आज जो इसकी कार्यक्षमता प्रभावित हुई है उसके लिये केवल सरकार जिम्मेदार रही है क्योंकि खाली पदों को समय पर भरा नही गया। यह स्वभाविक है कि जब पद ही नही भरे जायेंगे तो विधिवत बैंचों का गठन नही हो पायेगा और बैंच गठित न हो पाने का अर्थ है कि फैसले नही हो पाये। ऐसे में ट्रिब्यूनल को बन्द करने से आम आदमी को फैसलों के लिये लम्बे इन्तजार में डाल दिया गया है और देरी से मिला न्याय तो अन्याय के ही बराबर होता है।

क्या चार कान्वेन्ट स्कूलों के कारण ही है शहर में ट्रैफिक की समस्या आयुक्त रिपोर्ट से उठा सवाल

शिमला/शैल। क्या अवैध पार्किंग के लिये गाड़ीयों के चालान काटने से शहरों की ट्रैफिक समस्या हल हो जायेगी? यह सवाल राजधानी के उपनगर खलीनी में पथ परिवहन निगम की स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने तथा उसमें दो छात्राओं और ड्राईवर समेत तीन लोंगो की मौत पर उभरे जनाक्रोश तथा उसकी भेंट चढ़ी दर्जनों गाड़ियों की तोड़फोड़ के बाद उभरा है। गाड़ीयों की तोड़फोड़ इसलिये हुई क्योंकि यह गाड़ियां उसी सड़क पर पार्क थी जिस पर यह बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दुर्घटना के बाद पुलिस ने हजारों गाड़ियों के चालान काट डाले हैं। बसों की ओवर लोडिंग के चालान काटे जा रहे हैं क्योंकि बंजार में हुए हादसे का एक बड़ा कारण ओवर लोडिंग था और इसमें 46 लोगों की मौत हो गयी थी। इसी तरह 2018 में नूरपुर में एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें तीस बच्चों की मौत हो गयी थी। यह तीनो ऐक्सीडैंट गंभीर हादसे हैं और तीनो के कारण भी अलग – अलग रहे हैं। नूरपुर का मामला तो उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है और अब शिमला के मामले को भी इसी के साथ संलग्न कर दिया गया है। बंजार मामले पर अभी कोई फाईनल जांच रिपोर्ट नही आयी है और न ही यह मामला अभी तक उच्च न्यायालय में पहुंचा है। उच्च न्यायालय में पहुंचे मामलों पर अदालत का क्या फैसला और निर्देश आते हैं तथा उस पर अमल करने में कितना समय लग जायेगा। इसका पता तो आने वाले दिनों में ही लगेगा।

लेकिन इन्ही मामलो के साथ एक और मामला राजधानी शिमला के स्कूलों का 2017 से प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुंचा हुआ है। उच्च न्यायालय में एक डा. नितिन व्यास ने जनहित याचिका के माध्यम से राजधानी के स्कूलों के बच्चों को लाने ले जाने के लिये प्रयोग हो रहे नीजि वाहनों और स्कूल बसों के कारण हो रही ट्रैफिक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उच्च न्यायाल ने इस याचिका पर 14 – 12 – 18 को आयुक्त नगर निगम शिमला को पार्टी बनाते हुए शहर की इस समस्या पर रिपोर्ट तलब की थी। आयुक्त नगर निगम को रिपोर्ट में बताना था कि पार्किंग कहां – कहां कैसे बनाई जा सकती है जिससे शहर में ट्रैफिक सुचारू हो सके। इस रिपोर्ट में स्कूलों पर विशेष फोकस किया जाना था। उच्च न्यायालय के निर्देशों पर आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ कमेटी गठित हुई। इस कमेटी ने 18 – 12 – 2018 को शहर के चार स्कूलों का निरीक्षण किया। यह स्कूल थे सेंट एडवर्ड, जीसस एण्ड मेरी नवबहार, लोरेटो कॉन्वैन्ट ताराहॉल और आकलैण्ड हाऊस स्कूल। इन स्कूलों को लेकर दी गयी रिपोर्ट के कुछ मुख्य सुझाव यह है।

INTERIM REPORT TO DECONGEST THE PARKING PROBLEM NEAR SCHOOLS LOCATED ON THE CIRCULAR ROAD

In Pursuance of the directions passed by the Hon'ble High court HP in CWP No. 1516/2017 titled as Nitin Vyas Versus state of HP & others, a Committee of the following Engineers has been constituted under chairmanship of Mr. Dhramender Gill, MD-Cum-CEO, SJPNL:-

1. Mr Rajiv Sharma, Sr. Architect Planner, M.C. Shimla (Member Secretary)

2. Mr. Rajesh Kashyap, Executive Engineer, SJPNL (Member)

3. Mr. Sudhir Gupta Executive Engineer (R&B) M.C. shimla (Member)

4. Mr. Narender Verma, Project Director M.C. Shimla (Member)

5. Mr. Rajesh Thakur Asstt. Engineer (M.C. Shimla (Member)

St. Edward's School

1, The capacity of Present existing parking of the School can be increased by demolishing the existing old single storey building housing the reception and using the space thus created for parking.

Jesus and Mary School at Navbahar

2. The School has three gates on the aforesaid link road but since this road is narrow and also because of the idle parking on both sides of the road, the feasibility of plying School buses is not there. Hence widening of this road at some places and strict prohibition of idle parking is required so that the school buses can approach the school and students board and deboard in the campus itself. For this two of the gates of the school and exit gates. Similarly private vehicles can also approach the school and board and deboard in the campus itself . The widening will cost about Rs. 2.00 crore approximately. Since the custodian of this road is HPPWD, the HPWD department may be directed take up the work immediately.

3. The School should have its own mini electric/ travelers buses to avoid dependency on the private taxi operators. This will reduce the number of vehicles ferrying the students.

Loreto Convent Tarahall

1. The circular road adjoining the school boundary needs to be widened hence the boundary wall needs to be shifted inside by about 2 mtr for widening of the road.

Auckland House Girls School Longwod and Chapslee School Longwood

1. A bus lay-bye needs to be created to avoid parking of the buses on the main road. This can be done by shifting the gates of both Auckland House school and Chapslee School so that buses can park in the space between both gates and not on main road. For this the reatining wall of the Chapslee School will need to be shifted.

लेकिन इस रिपोर्ट के साथ ही एक सवाल यह खड़ा हो गया है कि इन्ही सड़कों के किनारे स्थित अन्य स्कूलों को लेकर कुछ नही कहा गया है। क्योंकि एडवर्ड के साथ ही इसी रोड़ पर पोर्टमोर स्कूल के बच्चे भी उतरते हैं। फिर बस स्टैण्ड के पास लालपानी और दयानंद स्कूल के बच्चों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। लक्कड़ बाजार के गर्ल्ज स्कूल और आगे आकलैण्ड के साथ ही आर के एम वी कॉलिज के बच्चों की भी समस्या है। लेकिन स्कूलों की समस्या सुलझाने से ही पूरे शहर की समस्या नही सुलझ जाती है। क्योंकि शहर की बड़ी समस्या तो प्राईवेट गाड़ियों की पार्किंग की है। इसके लिये हर सड़क के किनारे पार्किंग स्थलों को चिन्हित करने और बनाने के साथ ही सड़क के साथ लगते हर सरकारी और प्राईवेट भवन को उसमें पार्किंग स्थल बनाने की बाध्यता जब तक नही लगायी जायेगी तब तक इस समस्या का हल निकलना संभव नही होगा। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू करनी पड़ेगी क्योंकि हर शहर में यह समस्या खड़ी होती जा रही है।